न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं0 51/18

तारीखरजू:–23.08.2018

उनवान:– भूपेन्द्र सिंह बनाम गुलाब कंवर वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क्र	फर्द अहकाम	
8	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री संजय कुमार गहलोत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमदा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 13.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 924/0.85 है0 ग्राम बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी के हिस्से मे मौका की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन वावत निर्णय किया जावेगा। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वत: निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क), के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13.09.2018 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

2.9.19 वकुलाय उप०/जबाब पेश करने की हिदायत दी दिनांक 3.10.19 को पेश हो।

3.10.19

वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी वकील ने जबाब पेश नहीं किया। वकील अप पक्ष ने कथन किया कि दावा के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया जावे। वकील अप पक्ष की बहस सुनकर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दावा के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूँ। अतः दिनांक 23.8.18 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:55:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner